8.	जम्मू एंड कश्मीर	1	400
9.	केरल	5	300
10.	कर्नाटक	13	4425
11.	महाराष्ट्र	11	4679
12.	मणिपुर	1	190
13.	मेघालय	2	220
14.	मध्य प्रदेश	14	6656
15.	मिजोरम	2	205
16.	नागालैंड	1	220
17.	उड़ीसा	2	700
18.	पांडिचेरी	1	39
19.	पंजाब	5	915
20.	राजस्थान	5	1480
21.	सिक्किम	1	30
22.	तमिलनाडु	16	3355
23.	त्रिपुरा	1	135
24.	उत्तर प्रदेश	6	1642
25.	पश्चिम बंगाल	5	495
		योग:135	37,566 कि॰मी॰

उत्तर प्रदेश में राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

435. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न स्तरों पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के महत्वपूर्ण राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1984 से लेकर अब तक इस प्रकार के किसी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) निधियों की उपलब्धता और इस प्रयोजन हेतु परिकल्पित अन्य विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की जाती है। यद्यपि, मुख्यतया वित्तीय कमी के कारण अधिकतर राज्यों के इस प्रकार के अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सका, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

Fares of Buses in Delhi

436. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have raised or porpose to raise the fares of DTC buses and the buses running under DTC and under various Transport Schemes by about 25 per cent;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) The proposal for revision of bus fares received from the DTC is under consideration of the Govenment.

Fares of Taxies and TSR

437. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) to what extent the fares of taxies and TSR taxies have been allowed to be raised following the recent hike in prices of petrol, diesel etc. in different metropolises; and

(b) what relation the fare-hike bears with the hike in prices of petroleum?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The fare rates of taxies and autorickshaws in Delhi have been increased by 5% w.e.f. 1-10-1992 by the State Transport Authority over the appropved rates prior to that period. The information in respect of other metropolises is not available.

(b) The hike in fare is only 5% whereas the hike in the price of petrol is 7.4% and for diesel it is 20.9% in Delhi.

ट्रांसपोर्टरों द्वारा हड़ताल

438. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में कितने ट्रांसपोर्टरों ने भाग लिया था; और

(ख) उनकी मुख्य मांगें क्या-क्या थीं और सरकार ने उनमें से किन-किन मांगों को स्वीकार कर लिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) केन्द्र सरकार को ऐसे ट्रांसपोर्टरों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्होंने अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर अखिल भारतीय हड़ताल में भाग लिया था।

(ख) अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों को दिए गए अपने ज्ञापन में उठाई गई मांगें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं [नीचे देखिए] जो मांगें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मंजूर कर ली गई हैं वे संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं।

विवरण-I

सड़क परिवहन उद्योग की मुख्य मांगें और उसके सामने आ रही कथित समस्याएं निम्नलिखित हैं:—

1. हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पथकर समाप्त करना।
2. 31.5.92 से देश के सभी भागों से चुंगीकर समाप्त करना और दिल्ली में टर्मिनल कर समाप्त करना।
3. बीमा प्रीमियम कम करना।
4. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के लिए बहुल प्रवर्तन एजेंसियां हटाना।
5. ओवर लोडिंग विरोधी प्रावधानों को सख्ती से लागू करना।
6. वाहनों के लाइसेंस जारी करने के लिए ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलना।
7. सड़क परिवहन संबंधी कराधान के सिद्धांत निर्धारित करना।
8. राजमार्ग पर होने वाली लूटमार पर नियंत्रण।
9. अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए परमिट समाप्त करना और कुछ शर्तों में परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय परमिटों का नाम बदलना।
10. परमिटों से वाहनों की आयु संबंधी प्रतिबंध हटाना।
11. वाहक अधिनियम को अद्यतन बनाना।
12. खाड़ी युद्ध और बंगलादेश युद्ध के दौरान डीजल पर लगाया गया अधिभार समाप्त करना।
13. प्रचालकों की एसोसिएशनों और कोआपरेटिव्स को डीजल आउटलेट्स देना।
14. स्थायी पुलों पर मार्ग कर हटाना।
15. वाहनों और टायरों की कीमतों पर नियंत्रण।
16. वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क कम करना।

विवरण-2

उन मांगों की सूची जिन्हें सरकार द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

1. पथकर एवं चुंगी कर

पथकर समाप्त करने की मांग के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा दायर रिट याचिका में यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। सरकार इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी।

सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्रों से चुंगी कर समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो चुंगीकर और पथ कर से संबंधित सभी मुद्दों की जांच कर रही है।

2. बहुल प्रवर्तन एजेंसियां

इस बात पर सहमति थी कि निम्नलिखित मामलों में पुलिस की शक्तियों को वापस लेने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे:—

(1) ओवर लोडिंग,

(2) परमिटों की जांच,

(3) परमिट शर्तों की जांच,

(4) बीमा प्रमाणपत्रों की जांच,

(5) कंडक्टरों के लाइसेंस,

(6) फिटनेस प्रमाणपत्र (उस स्थिति को छोड़कर जब वाहन दुर्घटना में शामिल हो)

3. वाहनों की ओवरलोडिंग

अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को यह बताया गया था कि मोटर वाहन अधिनियम में ओवर लोडिंग के लिए सख्त दंड पहले से ही विद्यमान है।

ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों को दोहराया गया है।

4. ड्राइविंग लाइसेंस

इस बात पर सहमति थी कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 7 में उपयुक्त संशोधन किया

जाएगा जिसके द्वारा लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता यह होगी कि उसके पास एक वर्ष की अवधि के लिए हल्के या मध्यम मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो।

5. **राजमार्ग लूट-मार**

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ पहले ही उठाया जा चुका है। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने राजमार्ग लूटमार के जोखिम को समाप्त करने हेतु एक नीति तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों की 25.11.1992 को एक बैठक बुलाई है। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को भी उपर्युक्त बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

6. **परमिट अपेक्षाएं**

राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत चल रहे वाहनों की क्या 9 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और यदि हां तो कि सीमा तक, इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

7. **वाहक अधिनियम को अद्यतन बनाना**

इसकी जांच की जाएगी।

8. **पुलों पर मार्ग कर**

इस बात पर सहमति थी कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित ऐसे पुलों की सूची, जिस पर मार्गकर लिया जा रहा है, और संग्रह की वर्तमान स्थिति से अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को अवगत कराया जाएगा।

Amendment to the Merchant Shipping Act

439. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to amend the Merchant Shipping Act 1941 so as to enable the Shipping Companies to borrow from International Money Market;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that SCICI a nodal Agency to provide credit etc. to the Shipping Industry has failed in helping the Shipping Industry;

(d) if so, what are the reasons therefor; and

(e) whether any measures are under Government's consideration to improve the functioning of the SCICI?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) There is no provision in the Merchant Shipping Act which prevents Indian Shipping Companies to borrow from International money market. However, relevant Sections of Merchant Shipping Act are proposed to be amended to enable foreign lenders to execute mortgaged assets with relative ease.

(c) No, Sir. SCICI has always attempted to fulfil its role as a Nodal Agency for the Shipping Industry to provide credit etc.

(d) Does not arise.

(e) SCICI, being a non-government company incorporated under the Companies Act, is governed by policies as decided by its Board of Directors and by its shareholders from time to time.

Road Accidents in Delhi

440. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to write-up in Times of India of the 31st August, 1992 regarding ever increasing number of road accidents in Delhi;

(b) whether it is a fact that about 60 per cent of pedestrians are victims of these accidents;

(c) if so, whether Government propose to take any steps to ensure that the DTC buses are stopped near the foot-paths and not in the middle of the roads while taking in and disembarking the commuters;

(d) whether Government are also taking any sustained action to ensure that footpaths are available for use of the pedestrians exclusively and all encroachments are removed therefrom; and

(e) the number of sub-ways planned for this year in the interest of road safety?